

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल



परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका
एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के निर्देश

परीक्षा वर्ष - 2024-2025

☎ महत्वपूर्ण दूरभाष क्रमांक ☎

0755-2559923

वेबसाईट: www.mpbse.nic.in ई-मेल : mpbse@mp.nic.in,
regconf.mpbse@mp.gov.in

MP Online का हेल्प लाईन नंबर - 0755-6720200

यह निर्देश पुस्तिका मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

आमुख

शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएं। मण्डल द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/अग्रेषण संस्था प्राचार्य का होता है।

अतः सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करें, नियमों के अन्तर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस हेतु आपकी सुविधा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं तिथियों का प्रकाशन पुस्तिका के रूप में किया गया है। इसका भली-भाँति अध्ययन कर छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भराये जावे, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं विषयों आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे। आशा करता हूँ कि, आप इस पुस्तिका का अध्ययन कर, नियम निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

महत्वपूर्ण बिन्दू एवं निर्देश

- 1— सत्र 2023-24 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं एवं 11वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे छात्र दिनांक 30.09.2024 तक नामांकन शुल्क एवं रुपये 500/- विलंब शुल्क के साथ भर सकेंगे।
- 2— प्रवेश-पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी स्तर पर संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में मूल विषय में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।
- 3— संस्था प्राचार्य को इस आशय का घोषणा पत्र भरना होगा, कि छात्र विषय, माध्यम एवं छात्र के फोटो में कोई संशोधन शेष नहीं है। संस्था प्राचार्य एवं छात्र को परीक्षा केन्द्र पर विषय संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा।
- 4— कक्षा 9 वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए।
- 5— शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भरने की तिथियाँ पुस्तिका में अंकित की गई है। निर्धारित तिथियों में नामांकन एवं परीक्षा आवेदन भरण सुनिश्चित करें।
- 6— परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्राचार्य एवं छात्रगण परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष अनुमति के आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष से विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व तक केवल स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन भरने की सुविधा दी गई है। इन परीक्षार्थियों को जिले की समन्वयक संस्था पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
- 7— शासकीय एवं अशासकीय संस्था जिनकी संबद्धता शुल्क जमा नहीं है। उन संस्था के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा नहीं रहेगी। ऐसी संस्था नियत अवधि तक संबद्धता शुल्क जमा कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगी।
- 8— प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है फलस्वरूप परीक्षा शुल्क के अभाव में छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। प्रत्येक शाला प्राचार्य शुल्क का भुगतान नियत तिथि में करना सुनिश्चित करेंगे।
- 9— परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी का डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य डमी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि (वर्णित शर्तों के अध्याधीन) तथा विषय माध्यम की त्रुटि शेष नहीं है। डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी का सत्यापन छात्र एवं अभिभावकों से अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- 10— अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जावे की छात्र/छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पूर्व की तिथि का जारी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ही दिनांक 30 सितम्बर तक जारी उक्त दस्तावेज (TC व शैक्षणिक दस्तावेज) मान्य किये जा सकेंगे, अन्यथा ऐसे प्रवेश/आवेदन/परीक्षाफार्म अमान्य किये जावेंगे। नियत तिथियों के पश्चात् जारी दस्तावेज के छात्रों को आगामी सत्र के प्रवेश की पात्रता होगी।

अनुक्रमणिका

| स.क्र. | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|--------|--|---------------|
| 1 | महत्वपूर्ण तिथियाँ | 1 |
| 2 | प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि व प्रक्रिया | 2-4 |
| 3 | मण्डल की परीक्षाओं में नियमित रूप से सम्मिलित होने के लिये ऑनलाइन (Online) आवेदन भरने संबंधी निर्देश | 4-6 |
| 4 | स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये निर्देश | 6 |
| 5 | मण्डल की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने संबंधी निर्देश | 6-8 |
| 6 | ऑनलाइन प्रवेश-पत्र/नामांकन कार्ड डाउनलोड करने के पूर्व की महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्यवाही | 8 |
| 7 | हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश | 8-10 |
| 8 | विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) के आवेदन की प्रक्रिया एवं पात्रता | 10 |
| 9 | परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन | 10-11 |
| 10 | परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण | 11 |
| 11 | संभागीय अधिकारी के दायित्व | 11-12 |
| 12 | बेस्ट फाइव | 12 |
| 13 | पूरक प्राप्त छात्रों के निर्देश | 12 |
| 14 | विषय/माध्यम/समूह का चयन एवं परिवर्तन | 12-13 |
| 15 | अन्य राज्य/मण्डलों के छात्रों का मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश | 13 |
| 16 | श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश | 13 |
| 17 | अतिरिक्त विषय/विषयों का चयन | 13 |
| 18 | नामांकन | 13-14 |
| 19 | अध्ययन अन्तराल | 14 |
| 20 | नियमित छात्रों की उपस्थिति | 14 |
| 21 | प्रायोगिक परीक्षार्थियों | 14 |
| 22 | परीक्षा केन्द्र का निर्धारण | 15 |
| 23 | अनुचित साधन | 15 |
| 24 | परीक्षा शुल्क वापसी | 15 |
| 25 | स्थानांतरण प्रकरण | 15 |
| 26 | नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत | 16-17 |
| 27 | संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से परीक्षाओं की शुल्क जमा कर सकते हैं | 17 |
| 28 | मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण | 18 |
| 29 | प्रारूप | 19-22 |
| 30 | विषय कोड लिस्ट | 23-28 |
| 31 | ब्लॉक कोड लिस्ट | 29-30 |

1- नियमित/स्वाध्यायी छात्रों के ऑनलाइन नामांकन एवं परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की तिथियाँ-

| स.क्र. | विवरण | समयावधि | नियमित शुल्क | विलम्ब शुल्क |
|--------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का ऑनलाईन नामांकन | 10.07.2024 से 30.09.2024 | ₹350/- | शून्य |
| | 30 सितम्बर के पश्चात् Unpaid अथवा नवीन नामांकन हेतु (कक्षा 9वीं के लिए) | 30.11.2024 तक | ₹350/- | ₹300/- |
| 2 | हाईस्कूल/हा.से.(नियमित/स्वाध्यायी)/विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि | 01.07.2024 से 30.09.2024 | ₹1200/- | शून्य |
| 3 | 30 सितम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹100/- के साथ परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि (नियमित/स्वाध्यायी) | 01.10.2024 से 25.10.2024 | ₹1200/- | ₹100/- |
| 4 | 25 अक्टूबर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹2,000/-के साथ स्वाध्यायी परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि) | 26.10.2024 से 10.11.2024 | ₹1200/- | ₹2,000/- |
| 5 | 10 नवम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹5,000/-के साथ स्वाध्यायी परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि | 11.11.2024 से 25.11.2024 | ₹1200/- | ₹5,000/- |
| 6 | 25 नवम्बर के पश्चात् विलंब शुल्क ₹10,000/-के साथ केवल स्वाध्यायी परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथि | 26.11.2024 से 10.12.2024 | ₹1200/- | ₹10,000/- |
| 7 | 11 दिसम्बर के पश्चात् परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 10 दिवस पूर्व विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भर सकेंगे। (इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र जिले की समन्वयक संस्था पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा।) | 11.12.2024 से | ₹1200/- | ₹12,000/- |

नोट:- दिनांक 25.10.2024 तक भरे गए नियमित अनपेड परीक्षा फार्म इस तिथि के पश्चात् शुल्क जमा करने पर शुल्क जमा करने की तिथि को लागू विलम्ब शुल्क के साथ नियमित मान्य किए जायेंगे।

2- अन्य कार्यवाही की तिथि

| क्र. | विवरण | निर्धारित तिथि |
|------|---|--------------------------------|
| 1 | कमी उपस्थिति वाले छात्रों की रोल नम्बर की ऑनलाईन प्रविष्टि की तिथि | 10.01.2025 से 10.02.2025 तक |
| 2 | संशोधन उपरांत संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा घोषणा पत्र ऑनलाईन जमा करने की तिथि | 15.12.2024 |

3- परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु नियत तिथि

| क्र. | कार्यवाही विवरण | समय अवधि |
|------|---|------------|
| 1 | परीक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन | 10-08-2024 |
| 2 | वर्ष 2025 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का समिति द्वारा चयन करना | 20-08-2024 |
| 3 | चयन परीक्षा केन्द्रों का प्रकाशन कर दावें एवं आपत्ति प्राप्त करना | 30-08-2024 |
| 4 | दावें एवं आपत्ति का निराकरण कर जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करना | 24-09-2024 |
| 5 | मण्डल को अनुमोदित केन्द्र चार्ट प्रेषित करना | 30-09-2024 |

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/3479/प.स./2024

भोपाल दिनांक 25/06/2024

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

प्रिय,

प्राचार्य/प्राचार्या,

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएं। मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य का होता है। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पात्रता दरतावेज अपलोड नहीं किया जाना है, केवल अन्य राज्य/बोर्ड के पात्रता दरतावेज अपलोड किया जाना है। समस्त छात्रों के पात्रता दरतावेज संस्था में सुरक्षित रखेंगे। संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा की पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो। सत्र 2024-25 में भी परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन दिनांक 01 जुलाई 2024 से भरे जा सकेंगे। सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्या का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करे, नियमों के अंतर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। इस हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :-

प्रवेश, नामांकन एवं परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि व प्रक्रिया

- 1.1 मण्डल से संबंधता प्राप्त संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण कर लें। दिनांक 31 जुलाई 2024 तक कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य 01 जुलाई 2024 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन-पत्र/नामांकन आवेदन-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-
- 1.2 कक्षा 9वीं की प्रवेश-सूची एवं नामांकन आवेदन-पत्र- सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं में ऑनलाईन नामांकित छात्रों की समस्त प्रविष्टी को ही विद्यालय विशेष की कक्षा 9वीं की प्रवेश सूची मान्य की जावेगी। संस्था की कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों की 10 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 तथा विलंब शुल्क के साथ दिनांक 30.11.2024 तक ऑनलाईन नामांकन कार्यवाही की जा सकेगी। ऑनलाईन प्रविष्टी उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबंधित शाला की प्रवेश-सूची में स्वतः जुड़ जायेंगे। 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रवेश सूची उनके नामांकन क्रमांको से तैयार करने के लिये पृथक से लिंक उपलब्ध होगी। 9वीं कक्षा के नामांकन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी-
- 1.2(1) प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन-पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आई.डी. अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 1.2(2) कक्षा 9वीं के छात्र/छात्रा का एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर समग्र आई.डी. अंकित करते ही समग्र आई.डी. में दर्ज छात्र/छात्रा की समस्त जानकारियां जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन-पत्र भरे जावें तथा समग्र की आई.डी. की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख (स्कॉलर रजिस्टर/टी.सी.) के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार/संशोधन कर नामांकन आवेदन-पत्र भरे जावें।
- 1.2(3) यदि छात्र की समग्र आई.डी. की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जायेगी परंतु नामांकन आवेदन-पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जायेंगे।
- 1.2(4) कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे, परीक्षार्थियों हेतु समग्र आई.डी. अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे- छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि नामांकन फार्म में ऑटोफिल होकर प्रदर्शित होगी, उक्त जानकारी में दिनांक 20 दिसम्बर 2024 तक निःशुल्क संशोधन की अनुमति होगी परन्तु संशोधन की स्थिति में "मिसमेच" की जानकारी दर्ज की जावेगी।

- 1.2(5) समग्र आई.डी. में उल्लेखित जन्मतिथि में संशोधन किये जाने की स्थिति में संस्था प्राचार्य को ऑनलाईन इस आशय का घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा कि, छात्र की जन्मतिथि का संशोधन स्कॉलर-पंजी के अनुसार ही है।
- 1.2(6) उपरोक्त कार्यवाही म.प्र. के मूल निवासी परीक्षार्थियों हेतु की जाएगी।
- 1.2(7) प्रवेश हेतु आयु का निर्धारण पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश, शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आयु का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुक्रम में कक्षा 9वीं में प्रवेशित वर्ष में छात्र की आयु 13 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे छात्र कक्षा 9वीं में प्रवेश एवं नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 394/1565586/2023/20-2 भोपाल, दिनांक 28/02/2024 द्वारा पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु-सीमा निर्धारित की गई है-

| क्रमांक | प्रवेश हेतु कक्षा | न्यूनतम आयु (दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में) |
|---------|-------------------|---|
| 1 | नर्सरी | न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह |
| 2 | के.जी.-1 | न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह |
| 3 | के.जी.-2 | न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह |
| 4 | कक्षा-1 | न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह |

- 1.3 **कक्षा 10वीं की प्रवेश-सूची एवं परीक्षा आवेदन-पत्र-** सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र उनके कक्षा 9वीं के नामांकन के आधार पर ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। कक्षा 10वीं में सत्र 2024-25 में नियमित प्रवेश हेतु किसी छात्र का नामांकन क्रमांक A-22, A-23 सीरीज का होना आवश्यक है। Kiosk अथवा Portal पर छात्र के नामांकन क्रमांक की प्रविष्टि करते हुये परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जा सकते हैं। A-22 अर्थात वर्ष 2022-23 में नामांकित परीक्षार्थियों से पूर्व के नामांकित परीक्षार्थी नियमित प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था द्वारा भरे जायेंगे उन्हें ही विद्यालय विशेष की प्रवेश सूची हेतु मान्य किया जायेगा।
- 1.4 सत्र 2023-24 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु कक्षा 10वीं के परीक्षा आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां करते हुये अपने पात्रता संबंधी प्रमाणित दस्तावेज की प्रति अपलोड करने पर परीक्षा आवेदन-पत्र ग्राह्य किये जायेंगे। ऐसे छात्र दिनांक 30.09.2024 तक नामांकन शुल्क एवं ₹500/- विलंब शुल्क के साथ कक्षा 10वीं के परीक्षा फार्म भर सकेंगे।
- 1.5 **कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची-** सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाईन किया जाएगा।
सत्र 2023-24 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 11वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है, तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे छात्र दिनांक 30.09.2024 तक नामांकन शुल्क एवं ₹500/- विलंब शुल्क के साथ भर सकेंगे।
- 1.6 **कक्षा 12वीं की प्रवेश सूची एवं परीक्षा आवेदन-पत्र-** सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं के लिए प्रवेशित सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों तथा 2024 में कक्षा 12वीं नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगी। कक्षा 12वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन किया जायेगा। अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से ग्राह्यता प्राप्त छात्रों को कक्षा 12वीं का नियमित फार्म भरने के लिये C22 एवं C23 सीरीज का नामांकन क्रमांक होना आवश्यक है।
- 1.7 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि सत्र 2022-23 अथवा 2023-24 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकेंगे। ऐसे छात्र जो सत्र 2022-23 अथवा

2023-24 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हो, वे बिना विषय परिवर्तन किये श्रेणी सुधार के लिये संस्था के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकता है, किन्तु ऐसे छात्रों के लिये प्राचार्य का दायित्व होगा कि दोनो वर्षों में से छात्र केवल एक ही बार श्रेणी सुधार की सुविधा का लाभ ले। सत्र 2023-24 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण होकर नियमित प्रवेशित छात्र अथवा श्रेणी सुधार के रूप में प्रवेशित छात्रों का चयन कक्षा 12वीं के रोलनम्बर के आधार पर किया जा सकेगा।

- 1.8 **सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं/11वीं के जिन छात्रों के अंक व परीक्षा परिणाम ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये हैं तथा उक्त ऑनलाईन प्रविष्ट परीक्षा परिणाम के अनुसार उत्तीर्ण छात्र ही कक्षा 10वीं/12वीं का परीक्षा आवेदन फार्म भर सकेंगे।** जिन छात्रों की प्रविष्टि नहीं की गई है, उनकी प्रविष्टि करते हुए परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकेंगे।
- 1.9 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेशित छात्रों के निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड कर प्रमाणित प्रतियां संभागीय कार्यालय में जमा करें –

| स.क्र. | कक्षा | संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज |
|--------|--|---|
| 1 | 9वीं एवं 10वीं (नियमित छात्रों हेतु) | (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट |
| 2 | 11वीं एवं 12वीं (नियमित छात्रों हेतु) | (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट (स) प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र |
| 3 | कक्षा 10वीं एवं 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों के लिए | (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (ब) प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र |

उपरोक्त छात्रों को नामांकन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे। आवश्यक दस्तावेज अथवा पात्रता के अभाव में अपात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹ 800/- (ग्राह्यता शुल्क) एवं नामांकन शुल्क ₹350/- भी पृथक से देय होगा।

- 1.10 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि दस्तावेज अपठनीय न हों, दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त किये जावे।
- 1.11 संस्था प्राचार्य द्वारा नियमित रूप से दिये गये प्रवेश के उपरान्त यदि किसी छात्र को पात्रता के अभाव में नियमित से स्वाध्यायी श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे छात्रों का परीक्षा केन्द्र विकासखण्ड, तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर स्वाध्यायी छात्रों के साथ आवंटित किया जावेगा साथ ही संस्था की संबद्धता समाप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

2. मण्डल की परीक्षाओं में नियमित रूप से सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन (Online) आवेदन भरने संबंधी निर्देश

- 2.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2024-25 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार समस्त कक्षाओं की प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र भी ऑनलाईन भरे जावेंगे। निर्धारित तिथि 31.07.2024 तक प्रवेशित छात्र मण्डल द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। स्क्रीन पर छात्र का डाटा डिस्प्ले होने पर छात्र के केवल पाठ्यक्रम अनुसार चयनित विषय की प्रविष्टि कर, निर्धारित शुल्क MP Online के कियोस्क सेन्टर पर जमा कर परीक्षा आवेदन भरने की कार्यवाही की जावे।
- 2.2 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) छात्रों के ऑनलाईन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म के साथ प्रवेश प्रक्रिया में उल्लेखनीय पात्रता दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संस्था प्राचार्य संस्था में सुरक्षित जमा रखेंगे।

- 2.3 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों के लिये यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज अपलोड करने से रह गया होतो ऐसे दस्तावेज परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित अवधि में अपलोड किये जा सकेंगे। अर्हकारी परीक्षा हेतु अपलोड किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूवली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।
- 2.4 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जावे की छात्र/छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पूर्व की तिथि का जारी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में ही दिनांक 30 सितम्बर तक जारी उक्त दस्तावेज (TC व शैक्षणिक दस्तावेज) मान्य किये जा सकेंगे, अन्यथा ऐसे प्रवेश/आवेदन/परीक्षाफार्म अमान्य किये जावेंगे। नियत तिथियों के पश्चात् जारी दस्तावेज के छात्रों को आगामी सत्र के प्रवेश की पात्रता होगी।
- 2.5 शासन से मान्यता एवं मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा भरे गये नामांकन फार्म/ग्राह्यता फार्म/परीक्षा आवेदन-पत्रों का शुल्क जमा ना होने (Unpaid) की संस्थावार संख्या की जानकारी दिनांक 20 सितम्बर 2024 तक संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय अधिकारी की लॉगिन में उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2024 तक समस्त (Unpaid) छात्रों के शुल्क जमा हो जावे।
- 2.6 शुल्क छूट हेतु छात्रों के निर्धारित प्रमाणित प्रमाण पत्र, शुल्क स्टैमेंट, नामिनल रोल इत्यादि समन्वयक संस्था में निर्धारित तिथियों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2.7 ऑनलाइन आवेदन-पत्र निकटस्थ MP Online के माध्यम से निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जस का नगद भुगतान करते हुए भरे जा सकते हैं। संस्था स्वयं MP Online की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in से Credit Card/Debit Card /Internet Banking से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन कर सकती है। संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य निकटस्थ कियोस्क/पोर्टल पर जाकर प्रविष्टि करायेंगे। किसी भी स्थिति में छात्र को Kiosk पर नहीं भेजा जाये। छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो ग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा कर फोटो को Kiosk पर स्कैन कराया जावे।
- 2.8 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं अन्य परीक्षाएँ वर्ष 2024-25 के लिये कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन के साथ छात्र का स्वप्रमाणित Documents संलग्न कर संस्था में सुरक्षित रखेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वी, 10वी, 11वी एवं 12वी) छात्रों के ऑनलाइन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म हेतु Kiosk/Portal पर पृथक लिंक उपलब्ध होगी। उक्त लिंक के माध्यम से अन्य राज्य अन्य मण्डलों के कक्षा 9वी एवं 11वी के परीक्षार्थियों के नामांकन आवेदन/प्रवेश सूची तथा 10वी एवं 12वी के लिये परीक्षा आवेदन फार्म भरे जायेंगे तथा इन परीक्षार्थियों के लिये प्रवेश सूची के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करने के साथ संस्था में सुरक्षित रखेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक का मोबाईल नम्बर संस्था की पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जावे, आवश्यकता पड़ने पर मण्डल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
- 2.9 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे प्रवेश देने के समय ही छात्रों के डाक्युमेंट की जांच पूर्व में ही कर ले, उसके पश्चात् ही छात्रों को नियमित प्रवेश दे अथवा पात्रतानुसार स्वाध्यायी आवेदन भरने के दिशा निर्देश दे। पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होने अथवा अपात्र पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य की होगी, मण्डल की नहीं। अपात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने वाले संस्था प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 2.10 कोई भी परीक्षार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में दो विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
- 2.11 मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 903/1199/2016-20-2 भोपाल, दिनांक 18.05.2017 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की "रुक जाना नहीं" योजना के अर्न्तगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को "रुक जाना नहीं"

योजना में सम्मिलित होने हेतु कुल दो अवसर उपलब्ध होंगे। प्रथम अवसर जून माह में एवं द्वितीय अवसर माह अक्टूबर-नवम्बर में। द्वितीय अवसर माह अक्टूबर-नवम्बर में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी आगामी शैक्षणिक सत्र में ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश ले सकेंगे अर्थात् शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए "रुक जाना नहीं" योजना के अर्न्तगत जून 2024 में उत्तीर्ण छात्रों को ही संस्था में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- 2.12 संस्था प्राचार्य नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय कियोस्क के कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहेंगे। संबंधित विद्यालय के संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि कियोस्क संचालक से सतत् संपर्क में रहकर नियत तिथि पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना व शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी विद्यालय के परीक्षा फार्म अथवा शुल्क कियोस्क संचालक की लापरवाही से जमा नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रकाश में आने की तिथि का लागू शुल्क व नियम लागू होंगे।

3. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये निर्देश

प्रत्येक शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के लिये प्रत्येक परीक्षा हेतु स्वाध्यायी परीक्षा फार्म अग्रेषण करने की अधिकतम संख्या 300 निर्धारित है। समस्त जिले की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। संबंधित संस्था केवल उन्ही परीक्षा एवं संकाय के आवेदन फार्म अग्रेषित कर सकेंगी, जिस परीक्षा एवं संकाय की मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त है।

(अ)-हाईस्कूल परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता

- 1 कक्षा 8वीं की परीक्षा, मार्च 2023 या उसके पूर्व उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2 मार्च 2024 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 3 मार्च 2024 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्ष अन्य बोर्डों अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(ब) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता

- 1 मार्च 2023 अथवा इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण है।
- 2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डलों एव परीक्षा निकायों से मार्च 2023 या उसके पूर्व 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 3 वर्ष 2024 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो।
- 4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों से मार्च 2024 उसके पूर्व कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, हायर सेकेण्डरी परीक्षा में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।

4. मण्डल की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने संबंधी निर्देश

- 4.1 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in अथवा mpbse.mponline.gov.in से परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करेंगे।
- 4.2 इस प्रारूप में समस्त प्रविष्टियां छात्र स्वयं की हस्तलिपि में भरेंगे। अग्रेषण संस्था क्रमांक (school code) एवं ब्लॉक कोड अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा ही भरा जायेगा।

- 4.3 परीक्षार्थी स्वयं समस्त जानकारी भरने के उपरांत परीक्षा में बैठने की पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्था में आवेदन पत्र की जांच कराएंगे। किसी भी प्रकार की दस्तावेजों की कमी अथवा त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण जानकारी जैसे फोटो न होना, के लिये संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ऐसा पाये जाने पर मण्डल विनियम व परीक्षा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- 4.4 परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की पात्रता संबंधी जांच प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करके पात्र पाए जाने पर आवेदन-पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे। अग्रेषित आवेदन-पत्र की ऑनलाईन प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर अग्रेषण संस्था प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर कराई जायेगी। ऑन लाईन प्रविष्टि हेतु ₹25/- पोर्टल शुल्क कियोस्क संचालक को देय होगा। ऑनलाईन प्रविष्टि कराने हेतु छात्रों को कदापि न भेजा जावे तथा अग्रेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परीक्षा हेतु अग्रेषित फार्मों की संख्या 300 से अधिक न हो। समस्त जिलों की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। साथ ही जिले की समन्वयक संस्था को छोड़कर शेष संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संस्थाओं को जिस परीक्षा एवं संकाय की मान्यता/सम्बद्धता है, उसी परीक्षा एवं संकाय के परीक्षा फार्म अग्रेषित किया गया है। स्वाध्यायी परीक्षा हेतु समस्त छात्रों से परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिन्ट एवं पात्रता दस्तावेज अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा संस्था में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालयीन अथवा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में मण्डल द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
- 4.5 कियोस्क संचालक केवल मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित आवेदनों की ही प्रविष्टि करेंगे। यदि किसी कियोस्क संचालक द्वारा ऐसे आवेदन की प्रविष्टि किया जाना पाया जाता है जो किसी प्राचार्य से अग्रेषित नहीं है तो ऐसे कियोस्क के लायसेंस निरस्ती करने की सूचना मण्डल द्वारा MP Online को दी जायेगी।
- 4.6 ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रविष्टि कराने के उपरांत आवेदक को कियोस्क संचालक द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिंट आउट की सूक्ष्मता से जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें स्पेलिंग संबंधी या अन्य कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि है तो कियोस्क पर त्रुटि सुधार कराया जाए।
- 4.7 शासन से मान्यता एवं मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा भरे गये नामांकन फार्म/ग्राह्यता फार्म/परीक्षा आवेदन पत्रों का शुल्क जमा ना होने (Unpaid) की संस्थावार संख्या की जानकारी दिनांक 20 सितम्बर 2024 तक संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय अधिकारी की लॉगिन में उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2024 तक समस्त (Unpaid) छात्रों के शुल्क जमा हो जावे।
- 4.8 त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त होने पर पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं कियोस्क से प्राप्त पावती सहित इसे अग्रेषण संस्था (F.O) में निर्धारित तिथि के पूर्व संकलित करें।
- 4.9 अग्रेषण संस्था प्राचार्य अग्रेषण शुल्क ₹40/- छात्रों से पृथक से आवेदन अग्रेषण करते समय प्राप्त करेंगे। जिसमें संस्था प्रमुख/प्राचार्य को ₹15/- एवं सहायक अग्रेषणकर्ता शिक्षक को ₹25/- देय होगा।
- 4.10 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे नवीन परीक्षार्थी जिनका नामांकन पूर्व में मण्डल से नहीं हुआ है, उनका नामांकन कक्षा 10वीं के लिए E सीरीज तथा कक्षा 12वीं के लिए F सीरीज से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा। इस हेतु नामांकन शुल्क ₹350/- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त कियोस्क पर जमा करना होगा।
- 4.11 ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के हैं उन्हें स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र (केवल 12वीं हेतु) दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अग्रेषण संस्था में जमा करना होगा, जिसे अग्रेषण संस्था प्राचार्य संस्था में सुरक्षित रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करना अग्रेषण संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा।

कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज अपलोड करने से रह गया हो तो ऐसे दस्तावेज अंतिम तिथि तक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अर्हकारी परीक्षा हेतु अपलोड किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूअली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को ग्राह्यता शुल्क ₹800/- एवं नामांकन शुल्क ₹350/- एम.पी. आनलाईन के कियोस्क पर जमा करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।

5. ऑनलाइन प्रवेश-पत्र/नामांकन कार्ड डाउनलोड करने के पूर्व की महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्यवाही

5.1 परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात प्रत्येक परीक्षार्थी का डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य डमी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि (वर्णित शर्तों के अध्याधीन) तथा विषय माध्यम की त्रुटि शेष नहीं है। डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी का सत्यापन छात्र एवं अभिभावकों से अनिवार्य रूप से कराया जाए।

5.2 समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे, कि संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र में कोई त्रुटि शेष नहीं है। आवेदनों पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा केवल निर्धारित शर्तों के अधीन ऑनलाईन उपलब्ध होगी।

समस्त प्राचार्य उनकी संस्था में अध्ययनरत (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं) समस्त छात्रों के आवेदनों में कोई त्रुटि शेष नहीं है। इस आशय का घोषणा-पत्र ऑनलाईन अपलोड करेंगे अन्यथा निर्धारित समय पर घोषणा-पत्र अपलोड नहीं किया है, ऐसी संस्था के छात्रों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं किये जा सकेंगे।

5.3 उपरोक्त संशोधन संस्था प्राचार्य दिनांक 30.11.2024 तक कर सकेंगे। तथा निर्धारित घोषण प्रमाण-पत्र दिनांक 15.12.2024 तक मण्डल को ऑनलाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5.4 प्रवेश-पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी स्तर पर संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में मूल विषय में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।

6. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश

6.1 छात्रों के आवेदन-पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ-साथ प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पूर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन के लिये अत्याधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।

अतः संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि, किसी भी छात्र का, किसी भी कक्षा के लिये नामांकन/आवेदन-पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन/आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारियों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन-पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

- 6.2 संबंधित संस्था प्राचार्य के माध्यम से पूर्व में कक्षा 9वीं/11वीं के नामांकन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारीयों का सम्पूर्ण डाटा परिवर्तित किये बिना, लिपिकीय त्रुटियों को संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संस्था प्राचार्य के प्रमाणीकरण के आधार पर, जिस कियोस्क से नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये है, कियोस्क/पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों का सुधार किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार के आधार का संपूर्ण दायित्व संस्था प्राचार्य का होगा। उपरोक्त शर्तों के अध्याधीन नियमानुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय संशोधन, अतिरिक्त विषय जोड़ने/हटाने (शुल्क का अतिरिक्त भुगतान करने पर) की भी सुविधा रहेगी।
- 6.3 डिजीटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त, छात्र का रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन कर आवेदन-पत्र भर सकेंगे। आवेदन पत्र में फोटो स्कैन किया जाना आवश्यक है। नियमित कक्षा 10वीं के जिन छात्रों की फोटो नामांकन अथवा रोलनम्बर प्रविष्ट करने पर डिस्प्ले हो रही है ऐसे छात्रों की फोटो पुनः स्कैन नहीं करायी जाना है। कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों एवं कक्षा 12वीं के सभी छात्रों (नियमित/स्वाध्यायी) के नवीन फोटो स्कैन की जाना अनिवार्य है।
- 6.4 वर्ष 2023 एवं 2024 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे छात्र श्रेणी सुधार हेतु वर्ष 2025 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे छात्र पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का रोलनम्बर कियोस्क पर प्रविष्टि कराते हुए अपना ऑन लाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकते हैं। इस श्रेणी के नियमित छात्र वर्तमान संस्था का कोड तथा स्वाध्यायी छात्र अग्रेषण संस्था के कोड की प्रविष्टि करते हुए आवेदन-भर सकेंगे। विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- 6.5 नियमित/स्वाध्यायी छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अतिरिक्त विषय का चयन कर सकेंगे।
- 6.6 मण्डल के विज्ञप्ति क्रमांक/3306/विद्योचित/2022, भोपाल दिनांक 08.02.2022 अनुसार मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल "दृष्टिहीन (Blindness, Low-vision), मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखक चयन/विषय चयन/अतिरिक्त समय/परीक्षा शुल्क से छूट/कम्प्यूटर या टाईप रायटर चयन की सुविधायें" प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- 2- कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग छात्र/छात्राओं **CWSN (Children with special need)** को भी उपरोक्त सुविधायें प्रदान की जावेंगी-
- अ- शारीरिक रूप से विकलांग छात्र**
- 1- Loco Motor Disability- Leprosy Cured persons, Cerebral Palsy, Dwarfism, Muscular Dystrophy, Acid Attack victim
 - 2- Visual impairment- Blindness, Low vision
 - 3- Hearing impairment, Deaf, Hard of hearing
 - 4- Speech & Language Disability
- ब- Intellectual Disability**
- 1- Specific Learning Disabilities
 - 2- Autism Spectrum Disorder
- स- Mental illness,**
- द-**
- 1- Chronic Neurological Conditions-Multiple Sclerosis, Parkinson's disease
 - 2- Blood Disorder - Haemophilia, Thalassemia, Sickle cell disease
- 3- सभी दिव्यांग छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुये अंक प्रदाय किये जाने की सुविधा रहेगी। उक्त बहुविकल्पीय प्रश्न नियुक्त किये गये बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किये जावेंगे।
- 6.7 विषय एवं ब्लाक कोड लिस्ट मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है साथ ही पुस्तिका के साथ भी संलग्न है। तदानुसार ही आवेदन में सही कोड अंकित किये जाए।
- 6.8 समस्त नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भरेंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों कियोस्क नहीं भेजा जाए।

- 6.9 किसी भी कियोस्क द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली जाती है तो [mponline](#) के हेल्प लाईन नम्बर 0755-6720200 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- 6.10 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों के आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त परीक्षा आवेदन फार्म के साथ छात्र द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति व केवल माईग्रेशन की मूलप्रति नियत तिथि में संस्था प्राचार्य संस्था में जमा कर सुरक्षित रखेंगे।

7. विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) के आवेदन की प्रक्रिया एवं पात्रता

- 7.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु मण्डल की वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप का प्रिन्ट आउट निकाल कर निर्धारित कालमें में जानकारी की प्रविष्टि करने उपरांत **निकट के कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे।**
- 7.2 परीक्षा में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 7.3 इस परीक्षा हेतु द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना लागू की गई है। नवीन पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं छात्रों का नामांकन क्रमांक आवंटित की श्रृंखला **G- वर्ष/संस्था कोड/01** होगी।

8. परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन

- 8.1 परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरान्त संशोधन के प्रकरणों की संख्या शून्य रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं के Online परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित संस्था प्राचार्य Online त्रुटि सुधार/संशोधन करना सुनिश्चित करेंगे :-

| स.क्र. | कक्षा | आवेदन पत्रों में संशोधन की सुविधाएँ |
|--------|--|--|
| 1 | कक्षा 9वीं का नामांकन (A-24 सीरिज के छात्र) | नामांकित छात्र के विषय/माध्यम, छात्र/माता/पिता के नाम में स्पेलिंग, जन्मतिथि एवं फोटो में संशोधन की सुविधा। |
| 2 | कक्षा 9वीं का नामांकन (A-23 सीरिज के छात्र) | (i) प्रथम करेक्टर को छाड़कर संशोधन की अनुमति होगी। (ii) फोटो व जन्मतिथि संशोधन की अनुमति होगी। |
| 3 | कक्षा 10वीं के आवेदन पत्र में | स. क्र. (i) में वर्णित संशोधन कक्षा 9वीं के नामांकन (A-23 सीरिज) में किए जा सकेंगे। |
| 4 | कक्षा 11वीं के आवेदन पत्र में | विषय/संकाय/माध्यम में संशोधन की सुविधा। |
| 5 | कक्षा 11वीं/12वीं में अन्य राज्य/बोर्ड के छात्रों हेतु संशोधन सुविधा | केवल अन्य राज्य/बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि एवं फोटो में से अधिकतम दो श्रेणी में संशोधन की अनुमति होगी। |
| 6 | कक्षा 12 वीं के आवेदनों में | कक्षा 12वीं में केवल माध्यम/भाषा विषय तथा फोटो संशोधन की अनुमति होगी। |

- 8.2 वर्ष 2024 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार का संशोधन (माध्यम/विषय) परिवर्तन मान्य नहीं किया जावेगा। यदि किसी भी केन्द्र पर परिवर्तन किया जाता है तो प्रवेश-पत्र में अंकित विषय अनुसार संबंधित विषय में **ABS** अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।
- 8.3 परीक्षा आवेदन पत्र/नामांकन फार्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात प्रत्येक परीक्षार्थी का डमी प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शाला प्राचार्य डमी प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि (उपरोक्त वर्णित शर्तों के अध्याधीन) तथा विषय माध्यम की त्रुटि शेष नहीं है। डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी का सत्यापन छात्र एवं अभिभावकों से अनिवार्य रूप से करायी जाए।
- 8.4 समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे, कि संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र में कोई त्रुटि शेष नहीं है। आवेदनों पत्रों में निर्धारित शर्तों के अधीन त्रुटि सुधार की सुविधा ऑनलाइन रहेगी।

समस्त प्राचार्य उनकी संस्था में अध्ययनरत (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं) समस्त छात्रों के आवेदनों में कोई त्रुटि शेष नहीं है। इस आशय का घोषणा-पत्र ऑनलाईन अपलोड करेंगे अन्यथा निर्धारित समय पर घोषणा-पत्र अपलोड नहीं किया है, इनकी संस्था के छात्रों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं किये जा सकेंगे।

- 8.5 संशोधन संस्था प्राचार्य दिनांक 20.12.2024 तक कर सकेंगे। तथा निर्धारित घोषण प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2024 तक मण्डल को ऑनलाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 8.6 दिनांक 20.12.2024 के पश्चात यदि संशोधन संस्था प्राचार्य द्वारा किया जाता है, तो प्रति विषय ₹300/- (विषय/संकाय परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मान्य होगा) संशोधन शुल्क जमा कर दिनांक 17.01.2025 तक संशोधन करने की सुविधा रहेगी।
- 8.7 दिनांक 31.12.2024 तक घोषणा पत्र ऑनलाईन जमा न करने की स्थिति में संस्था प्राचार्य 20.01.2025 तक अर्थदण्ड ₹1,000/- जमा कर घोषणा पत्र ऑनलाईन जमा कर सकेंगे।
- 8.8 मण्डल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए घोषण पत्र ऑनलाईन अपलोड करने उपरांत किसी भी प्रकार के संशोधन की छूट नहीं रहेगी। सुधार हेतु ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन किसी भी तरह से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

9. परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 9.1 नवीन प्रवेशित छात्रों की जांच उपरांत पात्रता होने पर ही प्रवेश दिया जाए। मण्डल की परीक्षा हेतु नवीन प्रवेशित परीक्षार्थियों के Documents की जांच भी प्राचार्य स्तर पर की जाये, तथा छात्र से विवरण संबंधी पुष्टि करा ली जाये। पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा। समस्त छात्रों के ऑनलाईन आवेदन की प्रति के साथ पात्रता संबंधी डाक्यूमेन्ट्स संस्था में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा। भविष्य में न्यायालयीन प्रकरण अथवा शिकायती प्रकरण उदभूत होने की स्थिति में मण्डल द्वारा चाहे गये दस्तावेज संस्था को उपलब्ध कराना होगा।
- 9.2 छात्रों के नामांकन आवेदन-पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ-साथ प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पूर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन केलिये अत्याधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।

अतः संबंधित संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा, कि किसी भी छात्र का किसी भी कक्षा के लिये नामांकन आवेदन-पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारियों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन-पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10. संभागीय अधिकारी के दायित्व

- 10.1 ऑनलाईन आवेदन की प्रति, नामिनल रोल, शुल्क विवरण पत्रक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे, तथा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षों के भौतिक संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर ऑडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेंगे। **शुल्क छूट के दस्तावेज संबंधित प्राचार्य निर्धारित तिथि के 07 दिवस में समन्वयक संस्था में जमा करना सुनिश्चित करेंगे एवं समन्वयक संस्था से निर्धारित तिथियों में संभागीय अधिकारी के प्रतिनिधि दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।** संभागीय कार्यालय द्वारा इस वर्ष से परीक्षाओं की पात्रता संबंधी जांच नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मण्डल मुख्यालय द्वारा जांच हेतु पृथक से निर्देशित किया जावेगा।

- 10.2 संभागीय कार्यालय का प्रतिनिधि क्रमशः दिनांक 05.10.2024 तक जिले की समन्वयक संस्था से समस्त शुल्क छूट के दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षों के भौतिक संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर ऑडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेंगे।
- 10.3 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों की पात्रता का परीक्षण कर मान्य/अमान्य करना।
- 10.4 कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र—
अ— जो कक्षा 10वीं में सीधे 8वीं उत्तीर्ण के आधार पर सम्मिलित हो रहे हैं एवं नामांकन क्रमांक उपलब्ध नहीं है।

अथवा

- वर्ष 2003 के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. से 10वीं अनुत्तीर्ण है।
ब— जो कक्षा 12वीं में वर्ष 2003 के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10वीं उत्तीर्ण है।
के आवेदन पत्रों की पात्रता परीक्षण करने हेतु संभागीय अधिकारी की G2G लॉगिन में दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे। ऐसे प्रकरणों का भी संभागीय अधिकारी द्वारा मान्य व अमान्य का Approval करना अनिवार्य होगा।
- 10.5 अनुसूचित जाति/जनजाति के जाति प्रमाण पत्र एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन. (निःशक्त) वर्ग के चिकित्सा प्रमाण-पत्रों का परीक्षण करना।

11. बेस्ट फाईव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. के आदेश क्रमांक आर/221/2023/20-3 भोपाल, दिनांक 24.08.2023 के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 2024-2025 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति की सुविधा समाप्त की गई है।

12. पूरक प्राप्त छात्रों के निर्देश (मण्डल विनियम की कण्डिका 139)

मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित पूरक परीक्षा में सम्मिलित छात्र जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है उन्हें अगली ऊंची कक्षा वर्तमान कक्षा में प्रावधिक (**PROVISIONAL**) प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को परीक्षा फार्म भरने एवं प्रवेश सूची में नाम जोड़ने हेतु पूरक परीक्षाफल घोषणा के पश्चात् 30 दिवस का समय पृथक से दिया जावेगा।

13. विषय/माध्यम/समूह का चयन एवं परिवर्तन (मण्डल विनियम की कण्डिका 207)

- 13.1 कक्षा 9 वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। कक्षा 12वीं में डायवर्सिफाईड समूह में विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। पाठ्यक्रम का भली-भाँति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। ऑनलाईन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जावे। कक्षा 9वीं/11वीं में चयनित विषय/माध्यम/समूह में परिवर्तन निर्धारित शुल्क के साथ नियत अवधि तक Online संशोधित किया जा सकेगा।
- 13.2 हाईस्कूल परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
- 13.3 CWSN (Children with special need) छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे तथा परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में छूट प्रदान की गई है, यह परीक्षार्थी किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे।

- 13.4 हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा विषय लेना अनिवार्य है। CWSN (Children with special need) छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों का एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- 13.5 मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा दायर याचिका क्रमांक W.P. 604/2024 में भी आदेश प्रसारित किये गये है कि, कक्षा 9वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में अर्थात् छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं, वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे।

14. अन्य राज्य/मण्डलों के छात्रों का मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश (मण्डल विनियम की कण्डिका 122)

समकक्षता प्राप्त अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्र क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अथवा वर्ष 2023 कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण हो, यथास्थिति कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे अस्थाई प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र/नामांकन आवेदन-पत्र के साथ पात्रता दस्तावेज संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि, परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सुनिश्चित करें की छात्र मण्डल के ग्राह्यता विनियम अनुसार प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है।

15. श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश (मण्डल विनियम की कण्डिका 212)

- 15.1 नियमित छात्र के रूप में श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में केवल माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से उत्तीर्ण छात्र ही मण्डल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इसमें विषय परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- 15.2 श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अंकों के अधिभार को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल की परीक्षा समिति में हुए निर्णयानुसार 01 अंक की वृद्धि होने अथवा श्रेणी परिवर्तन होने पर ही नवीन परीक्षाफल तैयार किया जावेगा, तथा पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी।
- 15.3 मण्डल परीक्षा में श्रेणी सुधार का लाभ अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नहीं दिया जावेगा

16. अतिरिक्त विषय/विषयों का चयन (मण्डल विनियम की कण्डिका 105)

- 16.1 अतिरिक्त विषय/विषयों का चयन मण्डल की कक्षा 12वीं परीक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किसी भी एक विषय (जो मुख्य विषय में चयन नहीं किया गया हो) के रूप में लिया जा सकता है।
- 16.2 वह अभ्यर्थी जिसने मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसी पाठ्यक्रम की अगली परीक्षा में उत्तीर्ण विषय या विषयों को छोड़कर, एक या अधिक विषयों में स्वाध्यायी रूप से बैठ सकेगा परंतु विषय या विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग के ही विषय या विषयों तक सीमित होगा। साथ ही ऐसे छात्र मण्डल की किसी अन्य पूर्ण या आंशिक प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा हो।

17. नामांकन (मण्डल विनियम 1994)

- 17.1 मण्डल की समस्त सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। अन्य बोर्ड/अन्य राज्यों के छात्र के नामांकन हेतु आवश्यक कार्यवाही Online के माध्यम से दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक अनिवार्य रूप से करेंगे।

- 17.2 कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेशित छात्रों के नामांकन Online किया जाएगा। नामांकन की प्रविष्टि Kiosk पर कराते समय छात्र की जानकारी सावधानी से त्रुटि रहित भरी जावे। ऑनलाइन नामांकन दिनांक **10.07.2024** से **30.09.2024** तक निर्धारित है। पोर्टल शुल्क प्रति छात्र ₹25/- पृथक से देय होगा।
- 17.3 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिये Online नामांकन क्रमांक आवंटन की श्रृंखला (सिरीज) निम्नानुसार रहेंगी—
- (अ) कक्षा 9वीं के लिये **A-24/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (ब) कक्षा 10वीं के लिये **B-24/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (स) कक्षा 11वीं के लिये **C-24/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (द) कक्षा 12वीं के लिये **D-24/संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (इ) कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **E-24/अग्रेषण संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।
- (ई) कक्षा 12वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **F-24/अग्रेषण संस्था कोड/क्रमांक 001** से प्रारम्भ।

अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के नियमित छात्र के लिए

18. अध्ययन अन्तराल

कक्षा 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नियमित प्रवेश के लिये अध्ययन अन्तराल एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये, अर्थात् एक वर्ष अनुत्तीर्ण अथवा अध्ययन अन्तराल मान्य होगा, दोनों ही परिस्थिति मान्य नहीं होगी। लगातार दो वर्ष का अन्तराल अथवा दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा एक ही कक्षा में एक वर्ष अध्ययन अन्तराल व एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

19. नियमित छात्रों की उपस्थिति

(मण्डल विनियम की कण्डिका 203, 208, 209, 210)

मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10% की छूट दिये जाने का प्रावधान है, जो स्वयमेव लागू रहेगी, इनके लिये पृथक से ओवदन प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र/छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60% उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र/ छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की जावेगी। कमी उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क ₹150/- ऑनलाईन अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे छात्रों की सूची रोलनम्बर सह संस्था प्राचार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10.01.2025 से 20.02.2025 तक Online के द्वारा मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

20. प्रायोगिक परीक्षायें

नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षायें उनकी अध्ययनरत संस्थाओं पर मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि में आयोजित की जायेंगी। इस हेतु बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जावें।

21. परीक्षा केन्द्र का निर्धारण

एम सी सी क्रमांक-203/2001 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2001 के अनुसार जिला योजना समिति से अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि प्रथम पृष्ठ पर अंकित है।

22. अनुचित साधन (परीक्षा अधिनियम 1937)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में सामूहिक नकल/ व्यक्तिगत नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढता से रोकी जाना है। "मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षायें अधिनियम 1937" की धारा "डी" के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोगकरता है अथवा करवाता है उसको तीन साल का कारावास अथवा पाँच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अतः छात्रों को इस दुष्प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करे। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र एवं सामूहिक नकल परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणित होने पर मण्डल ऐसे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।

23. परीक्षा शुल्क वापसी (मण्डल विनियम की कण्डिका 111, 112, 113)

- 23.1 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाए या पूरी/आंशिक परीक्षा में उपस्थित न हो अपनी फीस वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 23.2 ऐसे मामलों में शुल्क वापस नहीं की जावेगी, जहां अभ्यर्थी को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र घोषित किया गया हो अथवा पात्रता परीक्षा निर्धारित अवधि के पश्चात् उत्तीर्ण होने पर अपात्र घोषित किया गया हो।
- 23.3 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व छात्र की मृत्यु होने पर संस्था प्राचार्य के माध्यम से माता-पिता को फीस वापस की जावेगी।

24. स्थानांतरण प्रकरण

किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की सूचना संबंधित शाला के नवीन प्राचार्य द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक मण्डल मुख्यालय में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

25. नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत (मण्डल विनियम की कण्डिका 110)

- | | |
|---|---|
| <p>25.1 सी.डबल्यू.एस.एन. श्रेणी के परीक्षार्थियों को C.M.H.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण</p> | <p>– सम्पूर्ण शुल्क से छूट</p> |
| <p>25.2 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण –संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी। (प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)</p> | <p>– संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)</p> |
| <p>25.3 मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियां परीक्षार्थी (प्रमाणीकरण-मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी)</p> | <p>– संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)</p> |
| <p>25.4 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। प्रमाणीकरण- जिला शिक्षा अधिकारी</p> | <p>– अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)</p> |
| <p>25.5 महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹15,000/-से अधिक नहीं है। (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)</p> | <p>– अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)</p> |
| <p>25.6 (i) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है। (ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।</p> | <p>– (i) केवल प्रथम अवसर के लिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट। (ii) सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति/ जन जाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।</p> |
| <p>25.7 स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र/771/843/2017/20-2, भोपाल दि. 17.04.17 के अनुसार कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।</p> | <p>सम्पूर्ण शुल्क से छूट।</p> |

शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

(iii) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/शिक्षा-3/2013/2690 भोपाल दिनांक 12.07.13 के अनुसार कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का परीक्षा शुल्क शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त कर मण्डल को परीक्षा फार्म भरते समय भुगतान करेंगे तथा अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा शुल्क नोडल संस्था के निकट की शासकीय संस्था के प्राचार्य से प्राप्त कर मंडल को जमा करेंगे।

(iv) कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क गतवर्षानुसार संबंधित विभाग से दी गई शुल्क छूट की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

प्रमाणीकरण—एस.डी.ओ./सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना प्रशासन अधिकारी (वृहत/ माध्यम /लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग


- नोट:-**
1. किसी भी श्रेणी में शुल्क छुट प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र अथवा संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा किसी योजना के तहत जारी पंजीयन कार्ड परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना तथा मूलप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संभागीय कार्यालय में समन्वयक संस्था के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। वांछित दस्तावेज जमा न करने अथवा संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र अमान्य किये जाने की स्थिति में निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे छात्रों की अंकसूचियां जारी नहीं की जा सकेंगी।
 2. ऐसे प्रकरणों के समस्त प्रमाणित दस्तावेज परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् सात दिवस में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

26. संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से परीक्षाओं की शुल्क जमा कर सकते हैं :-

- 26.1 निकटस्थ **mponline** के अधिकृत किसी भी निजी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जस का नगद भुगतान करते हुए अथवा **mponline** की वेबसाइट **mpbse.mponline.gov.in** के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है।
- 26.2 संस्था प्राचार्य प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की पात्रता की जांच करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। छात्र उपरोक्त निर्देशों से भलिभांति अवगत हो सकें इसके लिए निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किये जाए।

27- मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण

| क्र. | विवरण | निर्धारित शुल्क |
|------|--|-----------------|
| 1 | परीक्षा शुल्क (नियमित/स्वाध्यायी संपूर्ण विषय) | ₹ 1200/- |
| 2 | नामांकन शुल्क कक्षा (9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं डी.एल. एड. प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु) | ₹ 350/- |
| 3 | संपूर्ण विषयों के साथ प्रति अतिरिक्त विषय हेतु | ₹ 500/- |
| 4 | केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु | ₹ 500/- |
| 5 | पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय | ₹ 500/- |
| 6 | डी. एल. एड. (नियमित संपूर्ण विषय) परीक्षा शुल्क - | ₹ 6,000/- |
| 7 | डी. एल. एड. परीक्षा द्वितीय अवसर - | |
| | दो विषय तक | ₹ 2,000/- |
| | चार विषय तक | ₹ 4,000/- |
| | चार से अधिक विषय | ₹ 6,000/- |
| 8 | ग्राह्यता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु) | ₹ 800/- |
| 9 | परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क | ₹ 500/- |
| 10 | विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन(प्रति विषय) शुल्क | ₹ 500/- |
| 11 | स्वाध्यायी के आवेदन अग्रपेक्षा एवं पात्रता की जांच करने हेतु देय शुल्क | ₹ 40/- |
| 12 | प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन (10 वर्ष के अभिलेख) | ₹ 500/- |
| 13 | प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख) | ₹ 600/- |
| 14 | सत्यापन- अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन (10 वर्ष के) | ₹ 500/- |
| 15 | सत्यापन- अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन (10 वर्ष से पुराने) | ₹ 600/- |
| 16 | अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 03 माह तक) | निःशुल्क |
| 17 | अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन में संशोधन (03 माह से 01 वर्ष तक) प्रति अभिलेख | ₹ 400/- |
| 18 | अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेसन में संशोधन (01 वर्ष से पुराने) प्रति अभिलेख | ₹ 600/- |
| 19 | सम्बद्धता शुल्क- | |
| | 10वीं नवीन सम्बद्धता | ₹ 18,000/- |
| | 12वीं नवीन सम्बद्धता | ₹ 25,000/- |
| | 10वीं नवीनीकरण | ₹ 5,500/- |
| | 12वीं नवीनीकरण | ₹ 7,500/- |
| 20 | डी.एल.एड. की सम्बद्धता शुल्क- | |
| अ | डी.एल.एड. की परीक्षा हेतु प्रथम बार की सम्बद्धता शुल्क | ₹ 1,50,000/- |
| | प्रत्येक 50 विद्यार्थी के अतिरिक्त इंटेक हेतु | ₹ 1,50,000/- |
| ब | डी.एल.एड. की परीक्षा हेतु सम्बद्धता वृद्धि के लिए शुल्क- | |
| | प्रतिवर्ष प्रति 50 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु | ₹ 22,500/- |
| | प्रतिवर्ष प्रति 100 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु | ₹ 45,000/- |
| | प्रतिवर्ष प्रति 150 विद्यार्थियों के इंटेक हेतु | ₹ 75,000/- |


 सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 * मध्यप्रदेश, भोपाल

घोषणा-पत्र

प्राचार्य.....

संस्था कोड.....जिला.....

कक्षा 9वीं.....10वीं.....11वीं.....12वीं

छात्रों ने अपने संस्था में अध्ययनरत छात्रों के ओवदन-पत्रों की शाला रिकार्ड से जाँच कर ली है, सभी छात्रों की जानकारी (फोटो, माध्यम व विषय) में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। छात्रों एवं अभिभावकों से भी डमी प्रवेश-पत्र जाँच कराकर हस्ताक्षर लेने उपरान्त शाला रिकार्ड में सुरक्षित रख लिया है।

प्राचार्य

.....
.....
.....



अनुसूचित जाति/जनजाति के परीक्षार्थी के नाते परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने विषयक प्रपत्र।

1- परीक्षार्थी का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि मैं ग्राम.....तहसील.....जिला.....का/की मूल निवासी हूँ। मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....है) तथा मेरा धर्म..... है। मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति सूची के स.क्र.....पर अंकित है।

1. मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का मेरा पहला अवसर है।
2. मेरी तथा मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से –
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।
3. अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांक.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

2. नियमित हेतु शाला के प्राचार्य का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....को इस शाला में वर्षकी कक्षा.....में प्रवेश दिया गया था। शाला के अभिलेख के अनुसार छात्र/छात्रा की अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....है) छात्र/छात्रा का धर्म.....है।

1. छात्र/छात्रा का मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हा0 से0 परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके अनुसार छात्र एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से –
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।
3. छात्र द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसका मैंने मूल जाति प्रमाण-पत्र से मिलान कर लिया है।

शाला प्राचार्य/अग्रेषण
अधिकारी
(संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर)
एवं पद मुद्रा

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

नोट:-

- (1) मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का क्रमांक/एफ-12/65/2008/4/25 भोपाल दिनांक 02.03.2009 एवं पत्र क्रमांक एफ-12-6/2007/दो/पच्चीस, दिनांक 28.02.2008
- (2) कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/पीएमएस/46/2022/15483 भोपाल, दिनांक 27/07/2022
- (3) राज्य शासन द्वारा तद् विषयक जाति/आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति/आय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
1. कलेक्टर/एडीशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, 2. तहसीलदार 3. नायब तहसीलदार 4. परियोजना प्रशासन/ अधिकारी, (वृहत/मध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी विकास, परियोजना

परीक्षा शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र का नमूना

(1) राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका/श्री/कुमारी.....
के पुत्र/पुत्री है।
श्री/कुमारी.....का वर्ष.....का परीक्षा
में बैठने का प्रथम अवसर है।

जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित

दिनांक.....

(2) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवा निवृत्त शिक्षक के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
मण्डल से मान्यता प्राप्त.....उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.....
से सेवा निवृत्त शिक्षक श्री/श्रीमती.....के
पुत्र/पुत्री है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/कुमारी.....का वर्ष.....का परीक्षा
में बैठने का प्रथम अवसर है।

जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित

दिनांक.....

(3) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.....
मण्डल से मान्यता प्राप्त.....उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.....
में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका श्री /श्रीमती.....की
पुत्री है।
कुमारी.....का वर्ष.....का परीक्षा में
बैठने का प्रथम अवसर है।

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग
जिला.....(मध्यप्रदेश)
पद मुद्रा सहित
दिनांक.....

संबंधित प्राचार्य
(हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित)

(4) आय प्रमाण पत्र

(महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट हेतु आय प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....
पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....
की है।

इनके पालक/अविभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 15000/- (रु. पन्द्रह हजार) से कम
है।
वर्ष.....की परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।

कार्यालय मुख्याधिकारी
अथवा
रेवेन्यू अधिकारी
(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा सहित)

दिनांक.....

संस्था कोड



**अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

परीक्षा का नाम परीक्षा वर्ष

| स.क्र | छात्र का नाम एवं पिता का नाम | छात्र की जाति | अभिभावक की आय | देय परीक्षा शुल्क | राज्य शासन से प्रत्यापित होने वाली शुक्ल | अभियुक्ति |
|-------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

नोट—

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक-पृथक भरे।
2. परीक्षावार पृथक-पृथक भरा जावे।

**प्राचार्य के पद मुद्रा
सहित हस्ताक्षर**

**BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2024 -25**

SUBJECT CODE LIST CLASS - IX

| S.N. | LANGUAGE Any Three of the following | SUB CODE | S.N. | VOCATIONAL SUBJECTS (OPTIONAL) | SUB CODE |
|---|---|-------------|---|---|-------------|
| 1 | हिन्दी (Hindi) | 401 | 17 | I.T. & ITES | 863 |
| 2 | अंग्रेजी (English) | 411 | 18 | PRIVATE SECURITY | 864 |
| 3 | मराठी (Marathi) | 502 | 19 | BEAUTY & WELLNESS | 865 |
| 4 | गुजराती (Gujrati) | 504 | 20 | RETAIL | 870 |
| 5 | पंजाबी (Punjabi) | 507 | 21 | APPAREL MADE-UPS AND HOME FURNISHING | 872 |
| 6 | उर्दू (Urdu) | 508 | 22 | AGRICULTURE | 873 |
| 7 | सिन्धी (Sindhi) | 509 | 23 | AUTOMOTIVE (FOUR WHEELER SERVICE ASSISTANT) | 875 |
| 8 | संस्कृत (Sanskrit) | 512 | 24 | BANKING FINANCIAL SERVICE & INSURANCE (BFSI) | 876 |
| COMPULSORY SUBJECT | | | 25 | ELECTRONICS AND HARDWARE (JUNIOR FIELD TECHNICIAN HOME APPLIANCES) | 878 |
| 9 | गणित (स्टेण्डर्ड) Mathematics (Standard) | 100 | 26 | PLUMBING | 879 |
| | or | | 27 | TOURISM & HOSPITALITY | 880 |
| 10 | गणित (बेसिक) Mathematics (Basic) | 101 | 28 | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | 881 |
| 11 | विज्ञान (Science) | 200 | 29 | HEALTH CARE | 882 |
| 12 | सामाजिक विज्ञान (Social Science) | 300 | 30 | AUTOMOTIVE (ELECTRIC VEHICLE SERVICE ASSISTANT) | 883 |
| CWSN (Children with special need) (Any one of the following) | | | EFA (Education for all) विद्यालयों हेतु। | | |
| 13 | चित्रकला (Painting) | 162 | 31 | AI (ARTIFICIAL INTELEGENCE) | 877 |
| | or | | | | |
| 14 | गायन वादन (Gayan vadan) | 163 | | | |
| | or | | | | |
| 15 | तबला पखावज (Tabla Pakhavaj) | 164 | | | |
| | or | | | | |
| 16 | कम्प्यूटर (Computer) | 165 | | | |

नोट :-

- कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
- CWSN (Children with special need)** छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे।
- CWSN (Children with special need)** परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में से दो भाषाओं में छूट प्रदान की गई है। परन्तु इन परीक्षार्थियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।

**BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2024 -25**

SUBJECT CODE LIST CLASS - X

| S.N. | LANGUAGE Any Three of the following | SUB CODE |
|---|--|-------------|
| 1 | हिन्दी (Hindi) | 401 |
| 2 | अंग्रेजी (English) | 411 |
| 3 | मराठी (Marathi) | 502 |
| 4 | गुजराती (Gujrati) | 504 |
| 5 | पंजाबी (Punjabi) | 507 |
| 6 | उर्दू (Urdu) | 508 |
| 7 | सिन्धी (Sindhi) | 509 |
| 8 | संस्कृत (Sanskrit) | 512 |
| COMPULSORY SUBJECT | | |
| 9 | गणित Mathematics | 100 |
| 11 | विज्ञान (Science) | 200 |
| 12 | सामाजिक विज्ञान (Social Science) | 300 |
| CWSN (Children with special need) (Any one of the following) | | |
| 13 | चित्रकला (Painting) | 162 |
| | or | |
| 14 | गायन वादन (Gayan vadan) | 163 |
| | or | |
| 15 | तबला पखावज (Tabla Pakhavaj) | 164 |
| | or | |
| 16 | कम्प्यूटर (Computer) | 165 |

| S.N. | VOCATIONAL SUBJECTS (OPTIONAL) | SUB CODE |
|---|--|-------------|
| 17 | I.T. & ITES | 863 |
| 18 | PRIVATE SECURITY | 864 |
| 19 | BEAUTY & WELLNESS | 865 |
| 20 | RETAIL | 870 |
| 21 | APPAREL MADE-UPS AND HOME FURNISHING | 872 |
| 22 | AGRICULTURE | 873 |
| 23 | AUTOMOTIVE (FOUR WHEELER SERVICE ASSISTANT) | 875 |
| 24 | BANKING FINANCIAL SERVICE & INSURANCE (BFSI) | 876 |
| 25 | PLUMBING | 879 |
| 26 | TOURISM & HOSPITALITY | 880 |
| 27 | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | 881 |
| EFA (Education for all) विद्यालयों हेतु। | | |
| 28 | AI (ARTIFICIAL INTELEGENCE) | 877 |

नोट :-

1. हाईस्कूल परीक्षा के लिये निर्धारित भाषा विषयों में से कोई भी तीन भाषा विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य है किन्तु एन.एस.क्यू.एफ. विषयों का चयन करने वाले छात्र निर्धारित भाषा विषयों में से कोई दो भाषा विषयों का चयन कर सकेंगे।
2. **CWSN (Children with special need)** छात्र गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन वादन अथवा तबला पखावज अथवा कम्प्यूटर विषय में से कोई एक विषय ले सकेंगे।
3. **CWSN (Children with special need)** परीक्षार्थियों को तीन भाषाओं में से दो भाषाओं में छूट प्रदान की गई है। परन्तु इन परीक्षार्थियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2024-25
SUBJECT CODE LIST CLASS XI

| S.N. | SUBJECTS | CODE |
|--|---|------|
| LANGUAGE Any Two of the following | | |
| 1 | Hindi | 051 |
| 2 | English | 052 |
| 3 | Sanskrit | 053 |
| 4 | Marathi | 054 |
| 5 | Urdu | 055 |
| DIVERSIFIED SUBJECTS (Candidate shall offer three subjects from any one of the following groups) | | |
| HUMANITIES GROUP GROUP CODE - 1 A - (At least two or three subjects shall be offered from the following) | | |
| 6 | History | 110 |
| 7 | Geography | 120 |
| 8 | Political Science | 130 |
| 9 | Economics | 140 |
| B - Any one of the following if only two subjects offered from part A | | |
| | Mathematics | 150 |
| 10 | Informatic Practices | 151 |
| 11 | Drawing & Designing | 162 |
| 12 | गायन वादन | 163 |
| 13 | तबला पखावज | 164 |
| 14 | Agriculture | 165 |
| 15 | Sociology | 166 |
| 16 | Psychology | 167 |
| 17 | Home Science (Anat. Phys. & Hygins) | 168 |
| SCIENCE MATHS GROUP GROUP CODE - 2 | | |
| 18 | Physics | 210 |
| 19 | Chemistry | 220 |
| 20 | Mathematics | 150 |
| COMMERCE GROUP GROUP CODE - 3 | | |
| 21 | Business Studies | 310 |
| 22 | Book Keeping & Accountancy | 320 |
| (Any one Subject from following) | | |
| | Mathematics | 150 |
| 23 | Informatic Practices | 151 |
| 24 | Economics | 140 |
| AGRICULTURE GROUP GROUP CODE - 4 | | |
| 25 | Element of Science & Maths Useful for Agriculture | 410 |
| 26 | Crop Production & Horticulture | 420 |
| 27 | Animal Hus.Milk trade, Poultry farming & fishery | 430 |
| FINE ART GROUP GROUP CODE - 5 | | |
| 28 | Drawing & Painting | 510 |
| 29 | Still life & Designe | 520 |
| 30 | History of Indian Art & World Art | 530 |
| HOME SCIENCE GROUP GROUP CODE - 6 | | |
| 31 | HomeManagement Nutrition & Textile | 610 |
| 32 | Anatomy physiology & Health | 620 |
| 33 | Elements of Science | 631 |

| S.N. | SUBJECTS | CODE |
|--|---|------|
| SCIENCE BIO. GROUP GROUP CODE - 7 | | |
| | Physics | 210 |
| | Chemistry | 220 |
| 34 | Biology | 231 |
| LANGUAGE GROUP GROUP CODE - 8 A - (Any one language not already offered as language) | | |
| | Hindi | 051 |
| | English | 052 |
| | Sanskrit | 053 |
| | Urdu | 055 |
| B - (Any two from the following) | | |
| | History | 110 |
| | Geography | 120 |
| | Political Science | 130 |
| | Economics | 140 |
| | Sociology | 166 |
| ADDITIONAL SUBJECT (OPTIONAL) (Any one subject not already offered) | | |
| | Book Keeping & Accountancy | 820 |
| | Biology | 831 |
| 35 | Biotechnology | 832 |
| 36 | Physical Education | 833 |
| | Mathematics | 850 |
| | Informatic Practices | 851 |
| 37 | Indian Music | 861 |
| | Drawing & Designing | 862 |
| | गायन वादन | 863 |
| | तबला पखावज | 864 |
| VOCATIONAL SUBJECT (OPTIONAL) | | |
| 38 | BEAUTY & WELLNESS | 965 |
| 39 | RETAIL | 970 |
| 40 | HEALTH CARE | 972 |
| 41 | AGRICULTURE (FLORICULTURIST) | 973 |
| 42 | PLUMBER | 974 |
| 43 | I.T. & ITES | 975 |
| 44 | ELECTRTONICS AND HARDWARE (ASSISTANT INSTALLATION TECHNICIAN COMPUTING AND PERIPHERALS) | 976 |
| 45 | AGRICULTURE (MICRO IRRIGATION TECHNICIAN) | 977 |
| 46 | MEDIA AND ENTERTAINMENT | 978 |
| 47 | ELECTRONICS & HARDWARE (DRONE SERVICE TECHNICIAN) | 979 |
| 48 | ELECTRONICS & HARDWARE (SOLAR PANEL INSTALLATION TECHNICIAN) | 980 |
| 49 | PRIVATE SECURITY (CCTV VIDEO FOOTAGE AUDITOR) | 981 |
| 50 | BANKING FINANCIAL SERVICES & INSURANCE (BFSI) | 982 |
| 51 | APPARELS MADE UPS AND HOME FURNISHING | 983 |
| 52 | TOURISM & HOSPITALITY | 985 |
| <p>NSQF के तहत व्होकेशनल पाठ्यक्रम का विकल्प लेने वाले छात्र अतिरिक्त विषय के अंतर्गत चयन कर सकेंगे। 051 Hindi 052 English FOR INTERNAL EXAMINATION ONLY 1. Environmental Education & Disaster Management 2. S.U.P.W. or Vocational Training of a Trade 3. Physical Education or N.C.C./N.S.S./Scout & Guide</p> | | |

(NSQF) के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शासकीय संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हायर सेकण्डरी परीक्षा (कक्षा 11वीं) में द्वितीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।

नोट :- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा 11वीं) में हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। CWSN (Children with special need) छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION YEAR- 2024-25
SUBJECT CODE LIST CLASS XII

| S.N. | SUBJECTS | CODE |
|---|---|------|
| LANGUAGE Any Two of the following | | |
| 1 | Hindi | 051 |
| 2 | English | 052 |
| 3 | Sanskrit | 053 |
| 4 | Marathi | 054 |
| 5 | Urdu | 055 |
| DIVERSIFIED SUBJECTS (Candidate shall offer three subjects from any one of the following groups) | | |
| HUMANITIES GROUP GROUP CODE - 1 A - (At least two or three subjects shall be offered from the following) | | |
| 6 | History | 110 |
| 7 | Geography | 120 |
| 8 | Political Science | 130 |
| 9 | Economics | 140 |
| B - Any one of the following if only two subjects offered from part A | | |
| | Mathematics | 150 |
| 10 | Informatic Practices | 151 |
| 11 | Drawing & Designing | 162 |
| 12 | गायन वादन | 163 |
| 13 | तबला पखावज | 164 |
| 14 | Agriculture | 165 |
| 15 | Sociology | 166 |
| 16 | Psychology | 167 |
| 17 | Home Science (Anat. Phys. & Hygins) | 168 |
| SCIENCE MATHS GROUP GROUP CODE - 2 | | |
| 18 | Physics | 210 |
| 19 | Chemistry | 220 |
| 20 | Mathematics | 150 |
| COMMERCE GROUP GROUP CODE - 3 | | |
| 21 | Business Studies | 310 |
| 22 | Book Keeping & Accountancy | 320 |
| (Any one Subject from following) | | |
| | Mathematics | 150 |
| 23 | Informatic Practices | 151 |
| 24 | Economics | 140 |
| AGRICULTURE GROUP GROUP CODE - 4 | | |
| 25 | Element of Science & Maths Useful for Agriculture | 410 |
| 26 | Crop Production & Horticulture | 420 |
| 27 | Animal Hus. Milk trade, Poultry farming & fishery | 430 |
| FINE ART GROUP GROUP CODE - 5 | | |
| 28 | Drawing & Painting | 510 |
| 29 | Still life & Designe | 520 |
| 30 | History of Indian Art & World Art | 530 |
| HOME SCIENCE GROUP GROUP CODE - 6 | | |
| 31 | HomeManagement Nutrition & Textile | 610 |
| 32 | Anatomy physiology & Health | 620 |
| 33 | Elements of Science | 631 |

| S.N. | SUBJECTS | CODE |
|--|---|------|
| SCIENCE BIO. GROUP GROUP CODE - 7 | | |
| | Physics | 210 |
| | Chemistry | 220 |
| 34 | Biology | 231 |
| LANGUAGE GROUP GROUP CODE - 8 A - (Any one language not already offered as language) | | |
| | Hindi | 051 |
| | English | 052 |
| | Sanskrit | 053 |
| | Urdu | 055 |
| B - (Any two from the following) | | |
| | History | 110 |
| | Geography | 120 |
| | Political Science | 130 |
| | Economics | 140 |
| | Sociology | 166 |
| ADDITIONAL SUBJECT (OPTIONAL) (Any one subject not already offered) | | |
| | Book Keeping & Accountancy | 820 |
| | Biology | 831 |
| 35 | Biotechnology | 832 |
| 36 | Physical Education | 833 |
| | Mathematics | 850 |
| | Informatic Practices | 851 |
| 37 | Indian Music | 861 |
| | Drawing & Designing | 862 |
| | गायन वादन | 863 |
| | तबला पखावज | 864 |
| VOCATIONAL SUBJECT (OPTIONAL) | | |
| 38 | BEAUTY & WELLNESS | 965 |
| 39 | RETAIL | 970 |
| 40 | HEALTH CARE | 972 |
| 41 | AGRICULTURE (FLORICULTURIST) | 973 |
| 42 | PLUMBER | 974 |
| 43 | I.T. & ITES | 975 |
| 44 | ELECTRIONICS AND HARDWARE (ASSISTANT INSTALLATION TECHNICIAN COMPUTING AND PERIPHERALS) | 976 |
| 45 | AGRICULTURE (MICRO IRRIGATION TECHNICIAN) | 977 |
| 46 | MEDIA AND ENTERTAINMENT | 978 |
| 47 | ELECTRONICS & HARDWARE (SOLAR PANEL INSTALLATION TECHNICIAN) | 980 |
| 48 | BANKING FINANCIAL SERVICES & INSURANCE (BFSI) | 982 |
| 49 | APPARELS MADE UPS AND HOME FURNISHING | 983 |
| 51 | TOURISM & HOSPITALITY | 985 |
| <p>NSQF के तहत ब्लोकेशनल पाठ्यक्रम का विकल्प लेने वाले छात्र अतिरिक्त विषय के अंतर्गत चयन कर सकेंगे।</p> <p>051 Hindi 052 English</p> <p style="text-align: center;">FOR INTERNAL EXAMINATION ONLY</p> <ol style="list-style-type: none"> Environmental Education & Disaster Management S.U.P.W. or Vocational Training of a Trade Physical Education or N.C.C./N.S.S./Scout & Guide | | |

(NSQF) के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शासकीय संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हायर सेकण्डरी परीक्षा में द्वितीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।

नोट :- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। CWSN (Children with special need) छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को एक भाषा विषय से छूट लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

DPSE (विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा) EXAMINATION 2024 -25

SUBJECT CODE LIST - 2024 -25

विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (प्रथम वर्ष)

| स.क्र. | विषय | विषय कोड |
|--------|---|----------|
| 1 | पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं उसका भारत में ऐतिहासिक विकास | 701 |
| 2 | बाल विकास | 702 |
| 3 | शिक्षण विधियां एवं साधन सामग्री | 703 |
| 4 | भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा सामाजिक अध्ययन | 704 |

विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (द्वितीय वर्ष)

| स.क्र. | विषय | विषय कोड |
|--------|---|----------|
| 1 | बाल स्वास्थ्य आहार, पोषण एवं बाल कल्याण | 705 |
| 2 | बाल मनोविज्ञान | 706 |
| 3 | बाल शाला प्रबन्ध एवं सामुदायिक जीवन | 707 |
| 4 | पर्यावरण विज्ञान गणित | 708 |

| SEX | MARITAL STATUS | CATEGORY | MEDIUM |
|----------|----------------|----------|-----------|
| MALE 1 | MARRIED 1 | SC 1 | HINDI 1 |
| FEMALE 2 | UNMARRIED 2 | ST 2 | ENGLISH 2 |
| | | OBC 3 | URDU 3 |
| | | UR 4 | |

CWSN :- (Children with special need) श्रेणी का विवरण पुस्तिका की कंडिका 6.6 अनुसार है।

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन वर्ष परीक्षा (प्रथम वर्ष)

| स.क्र. | विषय | विषय कोड |
|--------|--|----------|
| 1 | बाल्यावस्था एवं बाल विकास Childhood and Development of Children | 801 |
| 2 | समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा Education in contemporary Indian Society | 802 |
| 3 | पूर्व बाल्यावस्था-परिचर्या एवं शिक्षा Early Childhood Care and Education | 803 |
| 4 | भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास Understanding Language and Early Language Development | 804 |
| 5 | पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण Pedagogy and IT Integration across the Curriculum | 805 |
| 6 | Proficiency in English | 806 |
| 7 | योग शिक्षा Yoga Education | 807 |
| | मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा शिक्षण Pedagogue of Mother Tongue/Regional Language | |
| 8 | क. हिन्दी भाषा शिक्षण Hindi Language Teaching | 808 |
| | ख. संस्कृत Sanskrit Teaching | 809 |
| | ग. मराठी Marathi Teaching | 810 |
| | घ. उर्दू Urdu Teaching | 811 |
| 9 | Pedagogy of English | 812 |
| 10 | गणित शिक्षण (प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक के लिये) Pedagogy of Mathematics Education (for Early Primary and primary school) | 813 |

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन वर्ष परीक्षा (द्वितीय वर्ष)

| स.क्र. | विषय | विषय कोड |
|--------|--|----------|
| 1 | संज्ञान अधिगम और बाल विकास Cognition Learning and the Development of Children | 901 |
| 2 | समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध Understanding of Society Education and Curriculum | 902 |
| 3 | शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे Emerging Gender and Inclusive Perspectives in Education | 903 |
| 4 | शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास School Culture, Leadership and Teacher Development | 904 |
| 5 | Proficiency in English | 905 |
| 6 | योग शिक्षा Yoga Education | 906 |
| 7 | पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण Pedagogy of Environmental Studies (for early Primary and Primary) | 907 |
| 8 | वैकल्पिक विषय शिक्षण (Optional Pedagogy Courses) | |
| | क. समाजिक विज्ञान शिक्षण Pedagogy of social science | 908 |
| | ख. अंग्रेजी भाषा शिक्षण Pedagogy of English Language | 909 |
| | ग. गणित शिक्षण Pedagogy of Mathematics | 910 |
| | घ. विज्ञान शिक्षण Pedagogy of science | 911 |

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2024 –25

DIVISION. DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2024 -25

| 1-Gwalior Division | 2-Sagar Division | 3-Rewa Division | 4-Ujjain Division |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| District-11-Morena | District-21-Tikamgar | District-31-Satna | District-41-Mandsour |
| Block Code | Block Code | Block Code | Block Code |
| Block Name | Block Name | Block Name | Block Name |
| 1101 - Morena | 2101 - Tikamgarh | 3101 - Satna (Suhawal) | 4101 - Mandsour |
| 1102 - Ambah | 2102 - Baldeogarh | 3102 - Chitrakoot (Majgava) | 4102 - Sitamau |
| 1103 - Porsa | - | 3103 - Rampur Baghelan | 4103 - Malhargarh |
| 1104 - Joura | - | 3104 - Nagod | 4104 - Garoth |
| 1105 - Pahadgarh | 2105 - Jatara | 3105 - Uchehara | 4105 - Bhanpura |
| 1106 - Sabalgarh | 2106 - Palera | 3106 - Amarpatan | District-42-Neemuch |
| 1107 - Kailaras | District-22-Chhatarpur | 3107 - Ramnagar | 4201 - Neemuch |
| District-12-Sheopur | 2201 - Chhatarpur | 3108 - Maihar | 4202 - Jawad |
| 1201 - Sheopur Kalan | 2202 - Rajnagar | District-32-Rewa | 4203 - Manasa |
| 1202 - Vijaypur | 2203 - Nowgaon | 3201 - Rewa | District-43-Ratlam |
| 1203 - Karahal | 2204 - Laundi | 3202 - Raipur (Karchuliyan) | 4301 - Ratlam |
| District-13-Bhind | 2205 - Gaurihar | 3203 - Mauganj | 4302 - Sailana |
| 1301 - Bhind | 2206 - Bijawar | 3204 - Hanumana | 4303 - Bajna |
| 1302 - Ater | 2207 - Badamalhara | 3205 - Naigarhi | 4304 - Jaora |
| 1303 - Mehgaon | 2208 - Bamswaha | 3206 - Teothar | 4305 - Piploda |
| 1304 - Lahar | District-23-Panna | 3207 - Jawa | 4306 - Alot |
| 1305 - Mihona (Ron) | 2301 - Panna | 3208 - Sirmour | District-44-Ujjain |
| 1306 - Gohad | 2302 - Gunnaor | 3209 - Gangew | 4401 - Ujjain |
| District-14-Gwalior | 2303 - Pawai | District-33-Shahdol | 4402 - Ghatiya |
| 1401 - Murar | 2304 - Shahnagar | 3301 - Sohagpur | 4403 - Badnagar |
| 1402 - Ghatigaon | 2305 - Ajaygarh | 3302 - Pali (No. 1) | 4404 - Khachrod |
| 1403 - Dabra | District-24-Sagar | 3303 - Beohari | 4405 - Mahidpur |
| 1404 - Bhitwarwar | 2401 - Sagar | 3304 - Burhar | 4406 - Tarana |
| District-15-Datia | 2402 - Rahatgarh | 3305 - Jaisinghnagar | District-45-Shajapur |
| 1501 - Datia | 2403 - Jaisinagar | District-34-Umaria | 4501 - Shajapur |
| 1502 - Sewda | 2404 - Rehli | 3401 - Umariya Karkeli | 4502 - Moman Badodiya |
| 1503 - Bhandar | 2405 - Deori | 3402 - Manpur | 4503 - Agar |
| District-16-Shivpuri | 2406 - Kesli | 3403 - Gohparu (Pali No. 2) | 4504 - Badod |
| 1601 - Shivpuri | 2407 - Banda | District-35-Sidhi | 4507 - Shujalpur |
| 1602 - Kolaras | 2408 - Shahgarh | 3501 - Sidhi | 4508 - Kalapipal |
| 1603 - Karera | 2409 - Khurai | 3502 - Sihawal | District-46-Dewas |
| 1604 - Narwar | 2410 - Malthone | 3503 - Kusmi | 4601 - Dewas |
| 1605 - Pohari | 2411 - Bina | 3504 - Majholi | 4602 - Sonkatch |
| 1606 - Pichhore | District-25-Damoh | 3505 - Rampur Naikin | 4603 - Tonkkhurd |
| 1607 - Khaniyadhana | 2501 - Damoh | District-36-Anuppur | 4604 - Kannod |
| 1608 - Badarwas | 2502 - Pathariya | 3601 - Anuppur | 4605 - Khategaon |
| District-17-Guna | 2503 - Jabera | 3602 - Pushprajgarh | 4606 - Bagali |
| 1701 - Guna | 2504 - Tendukheda | 3603 - Kotma | District-47-Agar |
| 1702 - Bamori | 2505 - Hatta | 3604 - Jaithari | 4701 - Agar |
| 1703 - Chachoura | 2506 - Patera | District-37-Singrauli | 4702 - Baroud |
| 1704 - Raghogarh | 2507 - Batiyagarh | 3701 - Devsar | 4703 - Susner |
| 1705 - Aron | District-26-Niwadi | 3702 - Chitrangi | 4704 - Nalkheda |
| District-18-Ashok Nagar | 2601 - Niwadi | 3703 - Baidhan | |
| 1801 - Ashok Nagar | 2602 - Prathvipur | | |
| 1802 - Isagarh | 2603 - Orchha | | |
| 1803 - Mungaoli | | | |
| 1804 - Chanderi | | | |

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2024 -25

DIVISION, DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2024 -25

| 5-Indore Division | 6-Bhopal Division | 7-Jabalpur Division |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| District-51-Jhabua | District-61-Rajgarh | District-71-Jabalpur |
| Block Block Code Name | Block Block Code Name | Block Block Code Name |
| 5101 - Jhabua | 6101 - Rajgarh | 7101 - Panagar |
| 5102 - Rama | 6102 - Khilchipur | 7102 - Kundam |
| 5103 - Ranapur | 6103 - Jirapur | 7103 - Bargi (Jabalpur) |
| 5104 - Petlawad | 6104 - Narsingarh | 7104 - Sihora |
| 5105 - Thandla | 6105 - Biaora | 7105 - Majholi |
| 5106 - Meghanagar | 6106 - Sarangpur | 7106 - Patan |
| District-52-Dhar | District-62-Vidisha | 7107 - Shahpura |
| 5201 - Dhar | 6201 - Vidisha | District-72-Katni |
| 5202 - Nalchha | 6202 - Gyaraspur | 7201 - Bahoriband |
| 5203 - Tirla | 6203 - Basoda | 7202 - Dhimarkheda |
| 5204 - Badnawar | 6204 - Nateran | 7203 - Rithi |
| 5205 - Sardarpur | 6205 - Kurwai | 7204 - Katni |
| 5206 - Manawar | 6206 - Sironj | 7205 - Barwara |
| 5207 - Dharampuri | 6207 - Lateri | 7206 - Vijayraghgarh |
| 5208 - Gandhwani | District-63-Bhopal | District-73-Narshingpur |
| 5209 - Bakaner (Umarban) | 6301 - Phanda | 7301 - Narsingpur |
| 5210 - Kukshi | 6302 - Barasia | 7302 - Gotegaon |
| 5211 - Nisarapur | District-64-Sehore | 7303 - Kareli |
| 5212 - Bagh | 6401 - Sehore | 7304 - Saikheda |
| 5213 - Dahi | 6402 - Ichhawar | 7305 - Babai Chichali |
| District-53-Indore | 6403 - Ashta | 7306 - Chawarpatha |
| 5301 - Indore | 6404 - Budhni | District-74-Mandla |
| 5302 - Mhow | 6405 - Nasrullanganj | 7401 - Mandla |
| 5303 - Sanwer | District-65-Raisen | 7402 - Mohgaon |
| 5304 - Depalpur | 6501 - Sanchi | 7403 - Ghughri |
| District-54-Khargone | 6502 - Obedullaganj | 7404 - Nainpur |
| 5401 - Khargone | 6503 - Begamganj | 7405 - Bichhiya |
| 5402 - Gogawan | 6504 - Gairatganj | 7406 - Mawai |
| 5403 - Bhagwanpura | 6505 - Silwani | 7407 - Niwas |
| 5404 - Segaon | 6506 - Bareli | 7408 - Narayanganj |
| 5405 - Bhikangaon | 6507 - Udaipura | 7409 - Bijadodi |
| 5406 - Jhiranya | District-66-Betul | District-75-Dindori |
| 5407 - Maheshwar | 6601 - Betul | 7501 - Dindori |
| 5408 - Badwah | 6602 - Chicholi | 7502 - Amarpur |
| 5409 - Kasrawad | 6603 - Ghoradongari | 7503 - Karanjiva |
| District-55-Badwani | 6604 - Shahpur | 7504 - Samnagar |
| 5501 - Barwani | 6605 - Multai | 7505 - Bajag |
| 5502 - Pati | 6606 - Prabhatpattan | 7506 - Mehadwani |
| 5503 - Thikri | 6607 - Amla | 7507 - Shahpura |
| 5504 - Rajpur | 6608 - Bhainsdehi | District-76-Chhindwara |
| 5505 - Pasemal | 6609 - Aathner | 7601 - Chhindwara |
| 5506 - Sendhawa | 6610 - Bhimpur | 7602 - Tamia |
| 5507 - Niwali | District-67-Hoshangabad | 7603 - Parasia |
| District-56-Khandwa | 6701 - Hoshangabad | 7604 - Mohkheda |
| 5601 - Khandwa | 6702 - Babai | 7605 - Jamai |
| 5602 - Punasa | 6703 - Keshla | 7606 - Saunsar |
| 5603 - Chhegaon (Makhan) | 6704 - Sohagpur | 7607 - Pandhurna |
| 5604 - Pandhana | 6705 - Bankhedi | 7608 - Bichhua |
| 5605 - Harsud | 6706 - Pipariya | 7609 - Amarwara |
| 5606 - Khalwa | 6707 - Seoni Malwa | 7610 - Churai |
| 5607 - Baldi (Killod) | District-68-Harda | 7611 - Harrai |
| District-57-Burhanpur | 6801 - Khirkiya | District-77-Seoni |
| 5701 - Khaknar | 6802 - Harda | 7701 - Seoni |
| 5702 - Burhanpur | 6803 - Timarni | 7702 - Barghat |
| District-58-Alirajpur | | 7703 - Kurai |
| 5801 - Alirajpur | | 7704 - Keolari |
| 5802 - Jobat | | 7705 -Lakhnadon |
| 5803 - Bhavra | | 7706 - Chhapara |
| 5804 - Sondawa | | 7707 - Kahanapas (Ghansaur) |
| 5805 - Katthiwada | | 7708 - Dhanaura |
| 5806 - Udaigarh | | District-78-Balaghat |
| | | 7801 - Balaghat |
| | | 7802 - Lanji |
| | | 7803 - Kirnapur |
| | | 7804 - Baihar |
| | | 7805 - Paraswada |
| | | 7806 - Birsa |
| | | 7807 - Waraseoni |
| | | 7808 - Kairlanji |
| | | 7809 - Katangi |
| | | 7810 - Lalbarra |

